राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1112/2024

अख्तर जमील **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सहायक शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर (राज.)।
3. श्री धर्मवीर भारद्वाज, अधिशाषी अभियंता C/o मुख्य अभियंता, जल संसाधन राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष परिहार, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता एवं प्रा.स. वास्ते अधीक्षण अभियंता के पद पर जल संसाधन वृत्त भीलवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशाषी अभियंता 14वां खंड इंदिरा गांधी नहर परियोजना बज्जू, बीकानेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी सितम्बर, 2025 में सेवानिवृत्त होने

वाला है, जिसकी सेवानिवृत्ति में लगभग 16 माह शेष हैं, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। अपीलार्थी को डेढ वर्ष की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण कर दिया गया है। उनका कथन है कि बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 500 कि.मी. दूर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कार्यरत है और स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उनका पदस्थापन एक ही स्थान अथवा नजदीक स्थान पर किया जाना चाहिये। अपीलार्थी के माता–पिता हृदय रोग से पीडित हैं, जिनका निरंतर उपचार चल रहा है और उनकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधिशाषी अभियंता एवं प्रा.स. वास्ते अधीक्षण अभियंता के पद पर जल संसाधन वृत्त भीलवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशाषी अभियंता 14वां खंड इंदिरा गांधी नहर परियोजना बज्जू, बीकानेर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी का स्थानान्तरण लगभग डेढ वर्ष बाद किया गया है, जो प्रशासनिक आधार पर राज्य हित में किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किसी कार्मिक की सेवायें जनहित में किस स्थान पर ली जानी हैं। जहां तक अपीलार्थी की पारिवारिक समस्यायें हैं, इस संबंध में अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस. सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 500 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य